



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

10 पौष 1943 (श10)
(सं0 पटना 1075) पटना, शुक्रवार, 31 दिसम्बर 2021

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

vf/k l puk
30 दिसम्बर 2021

सं० 10/मु०-मुद्रांक छूट-62/2020-5266—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा निम्नवत् नियत करते हैं:—

दस्तावेज के प्रकार	अधिकतम सीमा
औद्योगिक, खुदरा आवासीय अथवा वाणिज्यिक (Commercial) ऋण हेतु सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों/बैंकों के पक्ष में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-IA के Article-32(b) के अधीन यथावर्णित Further Charge विलेख।	20,000 /—रु. (बीस हजार रुपए मात्र)।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० के० पाठक,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

30 दिसम्बर 2021

सं० 10/मु०-मुद्रांक छूट-62/2020-5266—उपर्युक्त राज्यादेश का अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
के० के० पाठक,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

The 30th December 2021

No.- 10/मु0-मुद्रांक छूट-62/2020-5266—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section-9 of the Indian Stamp Act, 1899 the Governor of Bihar is pleased to fix the maximum limit of stamp duty as follows: --

Kind of Instrument	Maximum limit
Instrument of Further charge as described under Article 32(b) of the schedule IA of the Indian Stamp Act, 1899 in favour of public financial institution/banks for industrial, Retail Housing or Commercial loans.	Rs. 20,000/- (Rupees Twenty Thousand only)

By the order of the Governor of Bihar,
K. K. Pathak,
Additional Chief Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 1075-571+500-डी0टी0पी0।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>